414

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 13 नवम्बर, 1997 (कार्तिक 22, 1919)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार तेंदू पत्ता जांच आयोग, भोपाल का प्रतिवेदन दिनांक 21 अक्टूबर, 1997 द्वारा श्री के.के.दुबे, सेवा निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर (शासन के संकल्प सहित) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री चरणदास महंत, गृह मंत्री, दिनांक 30 एवं 31 जुलाई, 1997 की रात को नेमावर जिला देवास के पास नर्मदा नदी के पुल पर हुई बस दुर्घटना की जांच प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सदस्य, भोपाल जिले के ग्राम अकबरपुर में शासकीय भूमि को एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से बेचे जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्रीमती सुधा जैन, सर्वश्री बाबूलाल जैन, रामकिशन चौहान, सदस्य, प्रदेश के विभिन्न जिलों में नवीन पशुवध गृह खोले जाने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, लक्ष्मण सिंह गौड़, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य, विदिशा जिले के सिरोंज व लटेरी में अंधत्व निवारण शिविर में लोगों की नेत्र ज्योति चली जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, उज्जैन जिले के घट्टिया क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई तालाबों से पानी न दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल नगर में विभिन्न स्थानों पर उप कलारी खोले जाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, मण्डला जिले के ग्राम मोहाड़ निवासी एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) डॉ. रमन सिंह, सदस्य, दुर्ग जिले की खुल्लीपार सिंचाई योजना से सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, बालाघाट जिले के हड्डा पुलिस कर्मियों द्वारा नागरिकों से अवैध वसूली व मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री लल्लू सिंह, गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, छतरपुर जिले में एक निजी यात्री बस के नदी में गिरने से कई यात्रियों की मौत होने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री सुरेन्द्र वर्मा, सदस्य, देवास जिले में तिलहन संघ द्वारा कृषकों के सोयाबीन की खरीदी न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री रामेश्वर अखण्ड, लल्लू सिंह, बाबूलाल जैन, सदस्य, उज्जैन जिले के नागदा में एक व्यक्ति की हत्या का प्रयास किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम खर्रा स्थित लघु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन किये जाने,

(2) श्री प्रभात कुमार पाण्डेय, सदस्य, जबलपुर जिले के मड़ई जलाशय की नहरों की मरम्मत कराये जाने,

(3) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के कस्बा उदयपुरा में 132 के.व्ही. टावर लाइन बनाये जाने,

(4) ठाकुर मोहर सिंह, सदस्य, विदिशा नगर में शासकीय कन्या महाविद्यालय भवन बनाये जाने, एवं

(5) श्री रामलखन सिंह (त्योंथर), सदस्य, रीवा जिले के -

(क) ग्राम बरहा में लघु स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा
(ख) जवा-पटहट रोड से सुती-सरूई रोड का गिट्टीकरण कराये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य

श्रीमती उर्मिला सिंह, समाज कल्याण मंत्री, निःशक्त व्यक्तियों के समग्र पुनर्वास के संबंध में वक्तव्य देंगी.

6. वर्ष 1997-98 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 1997-98 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

निर्धारित समय

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. (1) प्रदेश के अनेक जिलों में कोल माइन्स के उत्खनन कार्य से उत्पन्न समस्या के संबंध में श्री लल्लू सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा 30 मि. (2) प्रदेश में भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री घनश्याम पाटीदार, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 12 नवम्बर, 1997

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा